प्रतिलिपि आदेश दिनांक 29–2–16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 698–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–2–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्र0क0 374/अ–21/14–15.

———

1– पूरनलाल गौंड पिता मंहगू गौंड
2– कौशल्याबाई पत्नि सुखराम गौंड
3– भुजला उर्फ भुजलाल पुत्र सुखराम गौंड
4– मालतीबाई पुत्री सुखराम गौंड
5– मुरारी आ. टावलसिंह गौड
6– नीमाबाई गौंड आत्मजा टावलसिंह गौड
7– बुधियाबाई गौंड आत्मजा टावलसिंह गौड
8– बतीबाई गौंड आत्मजा टावलसिंह गौड
9– देवकाबाई आत्मजा टावलसिंह गौंड
10– कलाबाई आत्मजा टावलसिंह गौड
11– सुरेश आत्मज साहबसिंह गौंड
12– दशोदाबाई गौंड आत्म साहबसिंह गौंड
13– विष्णु गौंड आत्मज श्यामलाल गौंड
14– सोनाबाई आत्मजा श्यामलाल गौंड
15– मन्नूलाल आत्मज इन्दु गौंड
16– गीताबाई गौंड इन्दु गौंड
17– रामबाई आत्मजा इन्दु गौंड
18– फग्गोबाई पत्नि तुलसी गौंड
19– होरीलाल आत्मजा तुलसी गौंड
20– मायाबाई पिता तुलसी गौंड
21– मोहन गौड आ. टावलसिंह गौड
22– लक्ष्मीबाई पति श्यामलाल गौंड
सभी निवासी हालमुकाम जैतपुर
तहसील व जिला नरसिंहपुर ——— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, नरसिंहपुर ——— उत्तरवादी

———

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 698-एक/16 जिला-नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.2.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 374/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-2-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदकों ग्राम जैतपुर प0ह0नं0 54 रा0नि0मं0 बचई तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 1.991 हैक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अपर तहसीलदार नरसिंहपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत यह पाया है कि आवेदकों द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि स्वअर्जित संपत्ति है किंतु पचियाबाई द्वारा सहमति न दिए जाने से अनुमति की अनुशंसा नहीं किए जाने का प्रतिवेदन एस.डी. ओ. को भेजा है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर को प्रेषित किया है और कलेक्टर द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव से सहमत होने का उल्लेख करते हुए मामला खारिज	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा इस आधार पर निरस्त किया है कि इस आपत्ति का कोई निराकरण आवेदकों द्वारा नहीं किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्यायिक प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि इस न्यायालय के समक्ष अपील मेमो के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनमें सहखातेदार पचियाबाई वल्द महंगूलाल गौड़ का फोटो लगा नोटराइज्ड सहमति पत्र भी पेश किया है जिसमें पच्चीबाई द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर मेरा नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि में से मैंने अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में से जो मावजा मुझे प्राप्त होना था वह भी मैंने प्राप्त कर लिया है अब मुझे अपने हिस्से की भूमि को छोड़कर बाकी भूमि को विक्रय करने में कोई आपत्ति नहीं है । अन्य संयुक्त स्वामी उक्त जमीन को सहमतिगृहीता कपिल शर्मा आत्मज श्री रामकुमार शर्मा निवासी सिंहपुर (बड़ा) को विक्रय करें तो उसे कोई आपत्ति नहीं है । आवेदकों द्वारा कहा गया है कि उक्त सहमति पत्र उनके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष पेश किया गया था जिसे उन्होंने अनदेखा किया है इस कारण उनके आदेश उचित नहीं ठहराए जा सकते । आवेदकों के अधिवक्ता का यह तर्क भी मानने योग्य है कि जो प्रश्नाधीन भूमि है वह 1.991 हैक्टर है जिसमें 22 सहखातेदार हैं और उनके मध्य बटवारा नहीं हो पा रहा है इससे उन्हें खेती करने में दिक्कत होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकों को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं, इस कारण उनके आदेश स्थिर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 698-एक/16 जिला-नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

नहीं रखा जा सकता । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-4-15 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-2-16 निरस्त किये जाते हैं एवं आवेदकों को उनके भूमि स्वामित्व की ग्राम जैतपुर प0ह0नं0 54 रा0नि0मं0 बचई तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित शामलाती कृषि भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 1.991 हैक्टर (में से सहखातेदार पचियाबाई के हक व हिस्से की भूमि को छोड़कर) को कपिल शर्मा आत्मज श्री रामकुमार शर्मा निवासी सिंहपुर (बड़ा) को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर